भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1102

उत्तर देने की तारीख : 29-07-2015

अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत कोचिंग हेतु स्कीम के अन्तर्गत विद्यार्थियों की यथार्थता की निगरानी

1102. श्री अम्बेथ राजनः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन विद्यार्थियों की असलियत की निगरानी हेतु कोई प्रणाली विकसित की है, जो उन कोचिंग संस्थाओं में दाखिला तथा कोचिंग ले रहे हैं जो ‘अनुसूचित जनजाति वर्गों हेतु कोचिंग’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ‘व्यापम घोटाले’ की पृष्ठभूमि में निगरानी प्रणाली की सख्त आवश्यकता महसूस करती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा)

**(क) तथा (ख) : “अनुसूचित जनजातियों के लिए कोंचिग” की योजना केवल अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो के लिए है। वित्तीय सहायता के लिए कोंचिग संस्थान के आवेदन को पर कार्रवाई समय अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की सूची सुनिश्चित की जाती है। इस योजना के तहत कोंचिग संस्थान में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों में अन्य बातो के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि:-**

1. **कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास विशिष्ट प्रतियोगी परिक्षा के लिए पात्र अर्हता है, वह इस मंत्रालय द्वारा वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त कोंचिग संस्थानों में आवेदन कर सकता है।**
2. **संस्थान सभी सीटों के भरे जाने तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इन अभ्यर्थियों को दाखिल करेगें। यदि कोंचिग संस्थान द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक है तो अर्हक परीक्षा में विशेष प्रतिभा निष्पादन की चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है।**
3. **अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को सक्षम प्राधिकारी जैसे समाहर्ता/उप समाहर्ता/तहसीलदार आदि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विधिवत जारी अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र प्राप्त करने होंगे।**

**(ग) : इस योजना के तहत परियोजनाओं की निगरानी के लिए निम्नलिखित प्रभावी तंत्र हैं:-**

1. **कोंचिग संस्थान के संचालन की निगरानी राज्य सरकार/जिला प्राधिकारियों द्वारा की जाती है तथा प्रत्येक वर्ष निरीक्षण रिपोर्ट सुनिश्चित की जाती है, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा भी परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाता है।**
2. **स्वतंत्र बाह्य एजेंसी के माध्यम से समवर्ती निगरानी की जाती है।**

**इसके अलावा, ग्राही संस्थानों के लेखे भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार के कार्यालय प्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा किसी भी समय जांच के लिए खुले हैं।**

\*\*\*\*\*